पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

विनीता सिन्हा

बनाम

रवीश रंजन

2018 की विविध अपील सं. 157

23 जून, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री और माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी. पीडी. सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या वैवाहिक वाद संख्या 5319/2014 में प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पटना द्वारा पारित दिनांक 03.02.2018 का तलाक का निर्णय और डिक्री अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा दायर अंतरिम भरण-पोषण और रिकॉल याचिकाओं पर निर्णय न लेने के कारण निष्प्रभावी हो गया, जिससे उसे मामला लड़ने का उचित अवसर नहीं मिला।

हेडनोट्स

पारिवारिक कानून - हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 - धारा 13 (1) (i -a) - क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक - जहां पत्नी को जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया और अंतरिम राहत याचिका अनिर्धारित रही, वहां फैसला सुनाया गया। पैरा 11-13 : अपीलकर्ता ने अंतरिम भरण-पोषण (19.12.2014) और प्रतिवादी के गवाहों को जिरह के लिए वापस बुलाने (14.11.2017) के लिए याचिका दायर की। दोनों पर निर्णय नहीं हुआ। न्यायालय ने पाया कि प्रक्रियागत चूक के कारण निर्णय कमजोर हो गया।

प्रक्रियागत निष्पक्षता – जिरह का अधिकार – प्राकृतिक न्याय के लिए मौलिक – निर्णय से पहले दायर की गई रिकॉल याचिका पर विचार न करना – अपीलकर्ता के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण माना गया। पैरा 12-13 : अपीलकर्ता के साक्ष्य बंद होने और बहस शुरू होने से पहले गवाहों को वापस बुलाने पर निर्णय न लेने के परिणामस्वरूप प्रभावी बचाव के अवसर से वंचित होना पड़ा।

दीवानी प्रक्रिया - अंतरिम भरण-पोषण और मुकदमेबाजी लागत - याचिका दायर की गई लेकिन निर्णय नहीं हुआ - समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन माना गया। पैरा 11-13 : 2014 में दायर अंतरिम राहत के लिए याचिका को न तो पारिवारिक न्यायालय ने स्वीकार किया और न ही खारिज किया। इस चूक ने प्रक्रियागत असंतुलन को बढ़ावा दिया।

रिमांड - तलाक का आदेश रद्द - लंबित आवेदनों पर निर्णय के बाद मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजा गया। पैरा 14-15 : दिनांक 03.02.2018 का निर्णय और डिक्री रद्द की गई। मामले को इस निर्देश के साथ वापस भेजा गया कि पहले लंबित अंतरिम राहत और रिकॉल याचिकाओं पर निर्णय लिया जाए, उसके बाद छह महीने के भीतर नई सुनवाई और निर्णय लिया जाए।

न्याय दृष्टान्त

(कोई नहीं)

अधिनियमों की सूची

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 – धारा 13(1)(i -a); दीवानी दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 – प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

मुख्य शब्दों की सूची

क्रूरता; परित्याग; तलाक; अंतरिम भरण-पोषण; रिकॉल याचिका; जिरह; वैवाहिक विवाद; पारिवारिक न्यायालय प्रक्रिया; प्रक्रियागत चूक; प्राकृतिक न्याय

प्रकरण से उत्पन्न

प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पटना द्वारा वैवाहिक वाद संख्या 5319/2014 में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i -a) के तहत तलाक देने के निर्णय दिनांक 03.02.2018 के खिलाफ अपील।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री सत्यावीर भारती, वरिष्ठ अधिवक्ता; सुश्री कानुप्रिया, अधिवक्ता; श्री अभिषेक आनंद, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री विवेक प्रसाद, अधिवक्ता; सुश्री वाई. माधवी, अधिवक्ता; सुश्री सुप्रयगया, अधिवक्ता

हेडनोट्स रिपोर्टर द्वारा बनाया गया : सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 की विविध अपील सं. 157

==========

विनिता सिन्हा, पति-रवीश रंजन, बेटी-दिवाकर प्रसाद, मोहल्ला के निवासी-किला गुफापर, बिहार शरीफ, थाना-टाउन पुलिस स्टेशन, जिला-नालंदा।

... ...याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

रवीश रंजन, पिता-श्री राम नरेश प्रसाद, निवासी, हाउस नंबर 25, एस. बी. आई. ऑफिसर कॉलोनी नंबर 03, अंबेडकर पथ, थाना-रूपसपुर, जिला-पटना।

.....प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री सत्यबीर भारती, वरिष्ठ अधिवक्ता
सुश्री कनुप्रिया, अधिवक्ता
श्री अभिषेक आनंद, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री विवेक प्रसाद, अधिवक्ता
सुश्री वाई. माधवी, अधिवक्ता
सुश्री सुप्रग्या, अधिवक्ता

==========

माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी. पीडी. सिंह
सीएवी निर्णय
(प्रतिःमाननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पीडी. सिंह)

दिनांक : 23-06-2025

पार्टियों को सुना।

2. अपीलार्थी-पत्नी (विनीता सिन्हा) ने वैवाहिक मामला संख्या 5319/2014 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक

03.02.2018 के खिलाफ इस अपील में सामने आई है, जिसके तहत प्रतिवादी-पति (रवीश रंजन) द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में '1955 अधिनियम') की धारा 13 (1) (i-a) के तहत दायर याचिका जिसमें तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को भंग करने की मांग की गई है, को अनुमति दी गई है और तलाक को मंजूरी दी गई है।

3. संक्षेप में, अपीलकर्ता-विनीता सिन्हा का विवाह प्रतिवादी-रवीश रंजन के साथ 28 जून, 2012 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ। विवाह विधिवत संपन्न हुआ; हालाँकि, इस विवाह से कोई संतान पैदा नहीं हुई।

4. 1955 के अधिनियम की धारा 13 (1) (i-क) के तहत अपनी याचिका में प्रत्यर्थी-पति का अनुरोधित मामला यह था कि याचिकाकर्ता सी.आर.पी.एफ. में एक सहायक कमांडेंट है। अपीलार्थी के साथ शादी की व्यवस्था की गई थी और दहेज का कोई आदान-प्रदान नहीं हुआ था और शादी बहुत ही सरल तरीके से हुई थी। विवाह के ठीक बाद प्रत्यर्थी ने पाया कि अपीलार्थी का रवैया और व्यवहार उसके पति, सास, ससुर और अन्य ससुराल वालों के प्रति बहुत कठोर, उदासीन और निष्क्रिय है और उनके प्रति उसका व्यवहार न केवल क्रूर था बल्कि दर्दनाक भी था। प्रत्यर्थी ने विरोधी पक्ष की हर आवश्यकता और जरूरतों का ध्यान रखा, लेकिन उसने हमेशा उत्तरदाता और उसके माता-पिता के खिलाफ बिना तुकबंदी और कारण के भाषा का गंदा और अपमानजनक उपयोग करके बदसूरत दृश्य बनाया। समय बीतने के बाद, अपीलार्थी ने नई दिल्ली में अपनी पढ़ाई जारी रखने पर जोर दिया। अंततः, प्रत्यर्थी ने उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए नई दिल्ली में उसके रहने की व्यवस्था की और उसके सभी खर्चों को वहन किया। दिल्ली से लौटने के बाद, उन्होंने तुरंत जुलाई, 2013 में आईएसएम धनबाद में एम.टेक के लिए प्रवेश लिया, जहाँ उन्हें उक्त संस्थान से छात्रावास की सुविधा मिली और वर्तमान में वह वहाँ अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। अपीलार्थी अपने पति और अन्य ससुराल वालों के प्रति अपने वैवाहिक दायित्व का निर्वहन करने में पूरी तरह विफल रही है। अपीलार्थी के कार्यों/कुकर्मों ने प्रत्यर्थी के मन में बड़ी यातना और उत्पीड़न पैदा किया है। अपीलार्थी ने बार-बार आवाज उठाई है कि उसे प्रतिवादी के साथ वैवाहिक जीवन जीने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वह उसके साथ सभी

प्रकार के संबंध तोड़ना चाहती है। इससे प्रतिवादी के मन में भारी पीड़ा और दुःख होता है और उसने पाया कि सर्वोत्तम संभव प्रेम और स्नेह देने के बावजूद, उसके, उसके माता-पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रति उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। अपीलार्थी हमेशा प्रतिवादी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से बचता था जो और कुछ नहीं बल्कि प्रतिवादी के साथ एक गंभीर क्रूरता है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के समाज और साथ को छोड़ दिया है और 23.04.2014 को बिहारशरीफ में अपने मायके चली गई। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच वैवाहिक संबंध पहले से ही अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका है और उनके वैवाहिक जीवन की बहाली की कोई उम्मीद नहीं है।

5. अपीलार्थी-पत्नी पेश हुई और अपना लिखित बयान दायर किया और प्रस्तुत किया कि तत्काल मामला खारिज किए जाने के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह कानून या तथ्य की दृष्टि से बनाए रखने योग्य नहीं है। अपीलार्थी-पत्नी ने कहा है कि शादी के बाद, वह अपने *ससुराल* गई थी, लेकिन शादी के सिर्फ दूसरे दिन ही सारी उम्मीदें दर्दनाक हो गईं जब उसने देखा कि ससुराल के सदस्य बर्तनों, उपहार की वस्तुओं और नकदी से खुश नहीं हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपने पति के निर्देश के अनुसार, वह अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। प्रत्यर्थी-पति सी.आर.पी.एफ. में सहायक कमांडेंट है और अपीलार्थी-पत्नी भी एक स्नातक इंजीनियर है। उसने कभी भी किसी भी प्रकार के भद्दे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था या अपनी माँ और ससुर को गाली नहीं दी थी और उसने कभी भी अपने ससुराल के किसी भी सदस्य के प्रति किसी भी प्रकार का अनादर नहीं दिखाया था। अपीलार्थी-पत्नी हमेशा अपने ससुराल वालों और पति के साथ रहना चाहती है और उनके आग्रह पर, उसने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। 18 मार्च, 2014 को उसे उसके पति (प्रतिवादी), ननद और ससुर ने बेरहमी से पीटा और उसके बाद उसे अकेले बिहारशरीफ में बाई पास रोड पर फेंक दिया गया, लेकिन उसने न तो पुलिस में शिकायत की थी और न ही किसी अदालत में क्योंकि वह वैवाहिक जीवन की बहाली की उम्मीद कर रही थी। अपीलार्थी ने कभी धमकी नहीं दी थी, ससुराल के किसी भी सदस्य के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था, अपमानित या झगड़ा नहीं किया था और अपीलार्थी-

पत्नी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप उससे तलाक लेने के उद्देश्य से झूठे हैं। इसलिए, तलाक की याचिका खारिज करने योग्य है।

6. प्रत्यर्थी के अनुसार, अपीलकर्ता ने उस पर एक अलग घर के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और वह उसके माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करती थी और वह हमेशा रिश्तेदारों की उपस्थिति में भी उनके साथ दुर्व्यवहार करती थी। यह कहा गया था कि अपीलार्थी ने प्रतिवादी-पति को 23.04.2014 को छोड़ दिया था और अलग होने के तीन साल बाद, उसने प्रतिवादी और उसके माता-पिता को दहेज और क्रूरता के झूठे मामले में घसीटा था। प्राथमिकी सं. 242 दिनांक 22.07.2016 दर्ज की गई थी और प्रतिवादी-पति और उसकी माँ पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पठित धारा 498-ए, 406, 323 और 506 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था; हालाँकि, दोनों को अदालत द्वारा दिनांक 16.12.2019 के फैसले के माध्यम से बरी (दोषमुक्त) कर दिया गया था। यह भी आगे कहा गया कि अपीलार्थी-पत्नी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत एक याचिका दायर की और उनके खिलाफ झूठे आरोपों के साथ घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज की। प्रत्यर्थी-पति द्वारा यह कहा गया था कि विवादों को समेटने के सभी प्रयास व्यर्थ हो गए थे। यह आगे कहा गया है कि प्रत्यर्थी-पति द्वारा क्रूरता के कृत्यों को माफ नहीं किया गया था और अपीलार्थी के साथ रहना असंभव हो गया था।

7. मामले मे वादविंदु के निर्धारन और अभिलेख पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्यों के आधार पर, विद्वान प्रधान न्यायाधीश,पारिवारिक न्यायालय, पटना ने यह माना कि अपीलकर्ता-पत्नी नेअपने पति के साथ मानसिक क्रूरता का व्यवहार किया है। तदनुसार,मुकदमे को अधिनियम की धारा 13 (1) (i-क) के अंतर्गत प्रतिवाद के आधार पर अधिनिर्णित किया गया और तदनुसार, 28.06.2012 को पक्षों के बीच संपन्न विवाह क्रूरता और परित्याग के आधार परविच्छेद कर दिया गया। अपीलकर्ता-पत्नी ने,विद्वान पारिवारिक न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर, इस न्यायालय के समक्ष तत्काल अपील दायर की।

8. अपीलार्थी-पत्नी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान परिवार न्यायालय ने प्रतिवादी-पति द्वारा दायर तलाक याचिका को अनुमति देने में कानून और तथ्यों दोनों में गलती की है। विद्वान वकील ने आगे कहा है कि तलाक की याचिका को क्रूरता के आधार पर गलत तरीके से अनुमति दी गई है, बल्कि अपीलकर्ता-पत्नी के साथ उसके वैवाहिक घर में क्रूरता का व्यवहार किया गया था और उसने केवल उसके साथ हुई क्रूरता के संबंध में मामले दर्ज करके और प्रतिवादी-पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज की मांग के संबंध में भी अपने कानूनी उपायों का लाभ उठाया था, हालांकि अपीलकर्ता के खिलाफ उन्हें गलत तरीके से लिया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि परिवार न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी ने प्रतिवादी-पति को छोड़ दिया था, जबकि यह प्रतिवादी था, जिसने अपीलार्थी-पत्नी को अपना वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर किया था।

9. तर्क के दौरान, अपीलार्थी-पत्नी के विद्वान वकील ने कहा है कि वस्तुतः इस वैवाहिक मुकदमे पर *एकतरफा* निर्णय लिया गया है और अपीलार्थी-पत्नी को प्रतिवादी-पति की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर नहीं दिया गया था। विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी-पत्नी की ओर से दायर याचिका के बावजूद अपीलार्थी-पत्नी को न तो कोई अंतरिम भरण-पोषण दिया गया और न ही कोई मुकदमेबाजी का खर्च दिया गया।

10. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि परिवार न्यायालय द्वारा पक्षों के बीच मामले को सुलझा लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था और कोई स्थायी गुजारा भत्ता तय नहीं किया गया था। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि परिवार न्यायालय द्वारा वापस किए गए निष्कर्ष कानून की नजर में टिकाऊ नहीं हैं।

11. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील को सुना है और परिवार न्यायालय के संबंधित अभिलेख के साथ-साथ विवादित फैसले का भी अध्ययन किया है। हम पाते हैं कि समन जारी होने के बाद, अपीलार्थी-पत्नी 24.07.2014 को उपस्थित हुई और 03.12.2024 को अपना लिखित बयान दायर किया। इसके बाद, अपीलार्थी-पत्नी की ओर से हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार अंतरिम भरण-पोषण और मुकदमेबाजी की लागत के लिए अनुरोध करते हुए एक

याचिका दायर की गई, जिसे न तो अनुमति दी गई है और न ही अस्वीकार किया गया है, बल्कि यह अनिर्धारित बना हुआ है। अभिलेख से पता चलता है कि किसी भी अंतरिम रखरखावभत्ता या मुकदमेबाजी की लागत दिए बिना, प्रतिवादी-पति को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है और सभी गवाहों की गवाही पूरा होने के बाद, प्रतिवादी-पति का साक्ष्य 10.08.2017 को बंद कर दिया गया था। इसके बाद, अपीलार्थी-पत्नी या उसके वकील का प्रतिनिधित्व न करने के कारण, उसके साक्ष्य को 17.10.2017 को बंद कर दिया गया और बाद में 02.11.2017 को तर्क शुरू किया गया।

12. अभिलेख से आगे पता चलता है कि उस अवधि के दौरान, 14.11.2017 को, प्रतिपरीक्षा के उद्देश्य से प्रत्यर्थी-पति के गवाहों को वापस बुलाने के लिए अपीलार्थी-पत्नी की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर भी निर्णय नहीं लिया गया है और अंत में निर्णय 03.02.2018 को पारित किया गया था।

13. इस मामले के उपरोक्त तथ्यात्मक ढ़ाचां को देखने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी-पत्नी की अंतरिम रखरखाव और मुकदमेबाजी की लागत दिनांक 19.12.2014 की उसकी याचिका के गैर-निर्णय के साथ-साथ प्रतिवादी-पति के गवाहों की प्रतिपरीक्षा के उद्देश्य से वापस बुलाने की याचिका के कारण अत्यधिक पूर्वाग्रहपूर्ण रही है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णय के समय, अभिलेख अपीलार्थी-पत्नी की ओर से दायर दिनांकित 19.12.2014 और 14.11.2017 याचिका के गैर अधिनिर्णय के कारण पूरी तरह से परिपक्व/तैयार नहीं था। मामले के उस दृष्टिकोण में, यदि विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के निर्णय और डिक्री को प्रभावी और कार्यशील होने की अनुमति दी जाती है, तो यह अपीलार्थी-पत्नी के लिए काफी हद तक पूर्वाग्रह पैदा करेगा क्योंकि मुद्दे में मामले के उचित और पूर्ण निर्णय के लिए, दोनों पक्षों के साक्ष्य रिकॉर्ड पर आने की आवश्यकता है।

14. तदनुसार, वैवाहिक मामला संख्या 5319/2014 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना के द्वारा पारित 03.02.2018 दिनांकित निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया गया है।

15. यह मामला प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पटना को वापस भेजा जा रहा है ताकि पहले अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा दिनांक 19.12.2014 को अंतरिम भरण-पोषण और मुकदमेबाजी खर्च के लिए दायर याचिकाओं और दिनांक 14.11.2017 को प्रतिवादी-पति की ओर से प्रस्तुत गवाहों को वापस बुलाने हेतु दायर याचिका पर दोनों पक्षों को दो महीने की अवधि के भीतर सुनवाई करके निर्णय लिया जा सके। तत्पश्चात, प्रतिवादी पति की ओर से विवाह को रद्द करने हेतु प्रार्थना करते हुए दायर वैवाहिक वाद संख्या 5319/2014 पर इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर दोनों पक्षों को समान अवसर प्रदान करके निर्णय लिया जा सके। पक्षों को इस मामले में सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है।

16. लंबित अंतरिम आवेदन (आई.ए.), यदि कोई हो, तो निपटाया जाता है।

(एस. बी. पीडी सिंह, न्यायमूर्ति)

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

शागीर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।